फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

ख्या :– /2024

भगवती लाल **बनाम** सरकार

ंक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस वकील वादी की सुनी गई। वादी ने यह वाद बाबत् नाम दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादीगण विवादित भूमि खसरा नंबर. 107, 08, 109, 110, 111, 54, 55 कुल किता 7 कुल रकबा 0.38 है0 के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादी का नाम भक्तवरा पुत्र रामनाथ दर्ज होना बताया है जबकि उनके वादी का वास्तविक नाम भगवती लाल पुत्र रामनाथ दर्ज होना बताया है। प्रार्थी / वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वादी का नाम विरासत से दर्ज हुआ है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में भक्तवरा पुत्र रामनाथ के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह सिद्ध नही किया है कि भगवती लाल पुत्र रामनाथ नाम का कोई अन्य व्यक्ति बतौर खातेदार उक्त भूमि पर काबिज है। अतः वादी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि भक्तवरा पुत्र रामनाथ एवं भगवती लाल पुत्र रामनाथ एक ही व्यक्ति है। अतः वादी का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में भगवती लाल पुत्र रामनाथ दर्ज किया जावें। डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर)	